न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल बोर्ड कैम्प, सागर म.प्र.

विविध-509-I/15

रामकृष्ण पिता केशरीसिंह

2. रविराज पिता केशरीसिंह

दोनो निवासी महुआखेड़ा कलां, तह0 व जिला सागर ... आवेदक/पुन0कर्ता

॥ बनाम ॥

जितेन्द्र सिंह पिता रघुवीरसिंह दांगी

व अन्य .. अनावेदकगण

प्र0क्र0 3469/I/14

ता0पेशी - 03.03.2015

आदेश दि0 11.02.2015

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदकगण प्रार्थना करते है :-

1- यहकि, आवेदकगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष दि0 27.9.14 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2014 के विरूद्ध रिवीजन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था रिवीजन आवेदनपत्र में दिनांक 16.10.2014 को सुनवाई की जाकर प्रकरण क्र. 3469/14 पंजीबद्ध किया जाकर रिवीजन आवेदन ग्राह्य कियाजाकर स्थगन आदेश जारी किया गया था ।

2- यहकि, आवेदक को यह जानकारी थी कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.08.2014 अंतरिम प्रवृत्ति का है इसकारण उनके अधिवक्ता ने भूलवश रिवीजन आवेदनपत्र पेश कर दिया था और न्यायालय द्वारा भी ग्राह्य मानकर स्थगन दिया गया था किन्तु अनावेदक द्वारा ... के अन्तर्गत उक्त रिवीजन आवेदनपत्र को क्षेत्राधिकार विहीन

R 1/15 रामकुमार / जितेन्द्र सागर (9)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री शरदकुमार जैन उपस्थित। उन्होंने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये। निवेदन स्वीकार। प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है। (हस्ताक्षर) प्रशा० सदस्य	